न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

नियमित जमानत आवेदन पत्र सं0–761 / 2026

हलई थाना कांड सं0–83 / 2025
अन्तर्गत धारा–309(4) भा0 न्या0 सं0
रितु कुमार उर्फ रितु राज.....आवेदक
बनाम्
बिहार सरकार.....विपक्षी

23.06.2026 काराधीन अभियुक्त / आवेदक रितु कुमार उर्फ रितु राज, पे0–विरेन्द्र सिंह निषाद की ओर से नियमित जमानत आवेदन–पत्र दाखिल किया गया है जिसकी प्रति लोक अभियोजक, समस्तीपुर को दी गई है।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचक मनीष कुमार झा के आवेदन–पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दिनांक 17.05.2025 को 8.00 बजे शाम में सूचक ताजपुर से अपने घर आ रहा था। रास्ते में डिहिया पुल के उत्तर लगभग 100 मीटर पहले अचानक दो मोटर साईकिल पर चार लोग सवार होकर उसे आगे से रास्ता रोकते हुए गाली–गलौज एवं गोली मारने की बात करने लगे और रोकने की कोशिश किए तथा आगे आकर उसके गाड़ी को रोकते हुए मारपीट करने लगे और गाड़ी का चाभी खींच लिया तथा हेलमेट निकालने को कहा और उसी हेलमेट से उसे मारना शुरू किया और जेब से मोबाईल एवं नगद निकाल लिया। उसके साथ घर्मेन्द्र कुमार को भी उसी तरह से मारपीट कर उसका मोबाईल एवं नगद लगभग 12000 रू0 छीन लिया और फोर लेन से भाग गया।

नियमित जमानत आवेदन–पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर कुमार पाठक एवं विद्वान अपर लोक अभि0, समस्तीपुर को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन–पत्र सं0–906 / 2026 इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। आवेदक ताजपुर थाना कांड सं0–72 / 2025 में अभियुक्त है जिसमें वह जमानत पर है तथा आवेदक दिनांक 08.06.2026 से कारा में है। आवेदक एक सम्मानित व्यक्ति है जिसका अपने समाज में अच्छा प्रतिष्ठा एवं सम्मान है। आवेदक के पलायन एवं उसके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

अभिलेख एवं केस डायरी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। केस दैनिकी की कंडिका 31 में सह अभियुक्त नीतीश कुमार का दोष स्वीकारोक्ति बयान है जिसके आधार पर आवेदक का नाम इस वाद में आया है। आवेदक का पहचान परेड नहीं कराया गया है तथा आवेदक के पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक ताजपुर थाना कांड सं0–72 / 2025 में अभियुक्त है जो आवेदक का जमानत अस्वीकृत करने का केवल आधार नहीं हो सकता है एवं आवेदक दिनांक 08.06.2026 से कारा में

Web Copy

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

नियमित जमानत आवेदन पत्र सं0–761 / 2026

हलई थाना कांड सं0–83 / 2025
अन्तर्गत धारा–309(4) भा0 न्या0 सं0
रितु कुमार उर्फ रितु राज.....आवेदक
बनाम्
बिहार सरकार.....विपक्षी

लगातार

23.06.2026 है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति एवं आवेदक की कारा अवधि को देखते हुए आवेदक रितु कुमार उर्फ रितु राज की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुए मो0 10,000 रू0 के दो प्रतिभुओं एवं उसी समान राशि के बंध–पत्र दाखिल करने पर विद्वान निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है–

1. एक जमानतदार निकट संबंधी होगा,
2. अनुसंधान एवं विचारण में सहयोग करेगा तथा भविष्य में समान प्रकृति के अपराध में सम्मिलित नहीं होगा तथा आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

लेखापित

ह0 / –

प्र0 अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
समस्तीपुर

Web Copy